बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–1/निदे0 छात्रावास(सामग्री एवं पूत्तियॉ)03–61–03/2015(खण्ड)– 104

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

सभी संबधित जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 28.02.17

विषयः **वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जन जाति कल्याण विभाग से संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए सामान्य छात्रावासों में सामग्री व पूत्तियॉ मद में ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष–2016–17 में राज्य योजना के अन्तर्गत अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए सामान्य छात्रावासों में सामग्री व पूत्तियॉ मद में ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति पत्रांक–54 दिनांक–08.11.16 द्वारा प्रदान की है। आवंटित राशि से छात्रावासों में चौकी, मैट्रेस, डेस्क–बेंच, वाटर प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल सामग्री, टी0 भी0, पंखा अग्निशमन यंत्र आदि का आपूर्ति किया जायेगा। स्वीकृत राशि में से कुल ₹1200.00 लाख (बारह करोड़ रू0) मात्र का पत्रांक–59 दिनांक–24.11.16 द्वारा आंवटित की गई है। तदनुसार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल **₹300.00 लाख (तीन करोड़ रू0)** मात्र का अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

3– आवंटित राशि का व्यय राज्य योजना मद से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उप मुख्यशीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–2101–सामग्री एवं पूर्तियां–मांग संख्या–44–विपत्र कोड संख्या–P2225012770101 के अन्तर्गत विकलनीय है।

4– इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस स्वीकृति के आलोक में सामग्री व पूत्तियॉ मद की गत वर्ष के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नही किया जाएगा।

5– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा ।

6– महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7– राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होगें तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

8– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक–1/निदे0 छात्रावास(सामग्री एवं पूर्तियाँ)03–61–03/2015(खण्ड)– 104 पटना, दिनांक– 28.02.17

प्रतिलिपिः– (1) महालेखाकार, बिहार,वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर,/संबधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

वित्तीय वर्ष 2016–17 मे राज्य योजना अन्तर्गत
अनु0 जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों
एवं अन्य छात्रावासों में सामग्री एवं पूर्तियां मद के लिए अतिरिक्त आवंटित राशि

(राशि ₹ में)

क्रमांक	जिला का नाम	सामग्री एवं पूर्तियां मद के लिए आवंटित राशि
1	2	3
1	पटना	500000
2	नालन्दा	1000000
3	भोजपुर	250000
4	बक्सर	500000
5	रोहतास	500000
6	भभुआ	1000000
7	गया	6000000
8	जहानाबाद	500000
9	नवादा	500000
10	औरंगाबाद	500000
11	अरवल	250000
12	सारण	1250000
13	गोपालगंज	4000000
14	सीवान	250000
15	पू0चम्पारण	500000
16	प0चम्पारण	250000
18	सीतामढी	500000
19	वैशाली	250000
20	दरभंगा	1500000
21	समस्तीपुर	250000
22	मधुबनी	500000
23	सहरसा	6000000
24	सुपौल	250000
25	किशनगंज	2000000
26	भागलपुर	500000
27	जमुई	250000
28	बेगुसराय	250000
	कुल योग	30000000

कुल तीन करोड़ रू0 मात्र

पत्रांक 104 दिनांक 28.02.17 का अनुलग्नक

निदेशक 23/2/17

allotment of SC&ST hostel-16-17